राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कजोडमल बनाम जगदीश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
952/2018		
11/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर पील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/03/2017 पारित कर हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को ग्राम मीणों का बाढ़, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 53 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 2.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54/371 रकबा 0.01 हैक्टेयर का मौका कब्जा एवं सरस-नरस अनुसार तकासमा किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14/09/2(8 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अपील मीमो में अंकित तथ्यों पर एवं रेस्पो. की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन नि यि व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य किया गया विभाजन न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14/09/2(8 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	